न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 42/2020

श्रीमती मथुरा पत्नी मोहनसिंह जाति गूर्जर निवासी सूपा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ग्राम सूपा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.11.2020 नायब तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 13/20 उनवानी सरकार बनाम मथुरा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार बयाना दिनांक 27.11.2020 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 0.05 है0 से बेदखल कर पैनल्टी, सामग्री जप्ती एवं पक्का निर्माण ध्वस्त करने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहेराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व जबाब का अवलोकन नहीं किया। हाल खसरा नम्बर 388 रकवा 0.05 एअर साविक खसरा नम्बर 359 रकवा 6 विस्वा से निर्मित हुआ है जो सम्वत 2012 में अपीलान्ट के पिता ब्रजलाल की खातेदारी में दर्ज था। राजस्व कर्मचारियों ने नया खसरा नम्बर 388 निर्मित करते समय अपीलान्ट के पिता के इन्द्राजों को हटा कर सरकारी रकवा गैरमुमकिन चाह के रूप में दर्ज कर दिया। अपीलान्ट का कब्जा पिता के समय से विवादित आराजी पर है। अपीलान्ट ने कोई नया कब्जा नहीं किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से यह रकवा सरकारी दर्ज हो गया है जिसकी दुरूस्ती बाबत अपीलान्ट द्वारा सम्बन्धित न्यायालयों में दुरूस्ती का दावा कर रहा है। तहत अदालत को दुरूस्ती दावे की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 388 गांव की आवादी में लगता है इसलिये पहले अपीलान्ट के पिता और फिर उनके बाद अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी पर मकान निर्मित करके रह रही है। अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवे पर कोई कब्जा नहीं है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायब तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

टीनशैड एवं चारदीवारी का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल, पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्ट का मुख्य आपत्ति यह है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पिता ब्रजलाल के खातेदारी के इन्द्राज के कारण अपीलान्ट ने अपने हिस्से में मकान निर्मित किया है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने हमारी विवादित आराजी को गैरमुमकिन चाह सिवायचक दर्ज कर दिया है। जिसके सम्बन्ध में दुरूस्ती का सक्षम न्यायालय में दावा दायर किया जाना बताया है। जब तक हाल राजस्व रिकार्ड का किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है तब तक राजस्व रिकार्ड की प्रविष्ठियां सही मानी जाती है। हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान गैरमुमकिन चाह सिवायचक दर्ज है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 से 2070 में आराजी खसरा नम्बर 359 (6 विस्वा) से नया नम्बर 388 (0.05 है0) बनना स्पष्ट है। जमाबन्दी संवत 2012 में उक्त खसरा नम्बर पर कॉलम संख्या 4 में किशनलाल वगैरा हिस्सा 1/3 खाता–6, सूखी वगैरा हिस्सा 1/3 खाता–19, बृजलाल वगैरा हिस्सा 1/3 खाता–20 अंकित है। जमाबन्दी संवत 2016 के कॉलम संख्या 5 में बृजलाल बल्द जोरे कौम गूजर सा.देह खातेदार अंकित है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने हेतु स्वतंत्र है जो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते है। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)